न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,टोंक

(पीठासीन अधिकारी : हुक्मीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–64 / 2023
दायर दिनांकः– 26.06.2023

उनवान
रमेश चन्द बनाम तहसीलदार टोंक

वादी की ओर से :– श्री सेतराम चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :–पैरोकार सरकार

प्रार्थना बाबत– अर्न्तगत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि. –1956

निर्णय

दिनांक 20/3/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा–128 इस आश्य का पेश किया गया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 512/899 रकबा 1.1129 है0, वाके ग्राम सुनेला हाजीपुरा पटवार हल्का देवली तहसील व जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अंकन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार टोंक के पत्रांक 6015 दिनांक 05.06.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो शामिल पत्रावली है। जिसके अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिस पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

आदेश

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टोंक को आदेशित किया जाता है कि:–

1. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 512/899 रकबा 1.1129 है0, वाके ग्राम सुनेला हाजीपुरा पटवार हल्का देवली तहसील व जिला टोंक में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये।
2. तहसीलदार, तहसीलदार टोंक को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयसपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।
3. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खडी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।
4. तहसीलदार टोंक को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी के माध्यम से पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तातंरण नहीं करे।
5. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करे। कब्जा संबंधी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

यह निर्णय दिनांक 20/3/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(हुक्मीचन्द रोहलानिया)
उपखण्ड अधिकारी,टोंक
टोंक (राज.)

Scanned with OKEN Scanner